

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्रहायण 3, 1937

No. 313]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

फा. सं. 2015/ई(जीआर)1/18/1.— रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 14.03.2015 की अधिसूचना, सं. 2015/ई(जीआर)1/18/1, भाग-I, खंड- I जिसमें इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2015 संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं, में एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं:-

पृष्ठ 58 पर पैरा : 18

निम्न को

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2015 के "लिखित परीक्षा के अर्हक उम्मीदवारों" को चिकित्सा जांच करानी होगी।

से प्रतिस्थापित किया जाता है

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2015 "के आधार पर आयोग द्वारा अंततः सिफारिश किए गए उम्मीदवारों" को चिकित्सा जांच करानी होगी।

पृष्ठ 58 पर पैरा 18 के अंतर्गत शीर्ष उम्मीदवार यह भी नोट करें कि

निम्न को

(i) लिखित परीक्षा में अर्हक सभी उम्मीदवारों को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसने विगत में ऐसी चिकित्सा जांच कराई है तथा पूर्व चिकित्सा जांच के आधार पर उसे योग्य/अयोग्य पाया गया है, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तारीख के तुरंत बाद चिकित्सा जांच करानी होगी;

से प्रतिस्थापित किया जाता है

(i) प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग द्वारा अंतिम रूप से सिफारिश किए जाने पर जब कभी रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा निर्णय लिया जाए इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसने विगत में ऐसी चिकित्सा जांच कराई है तथा पूर्व परीक्षा के आधार पर उसे योग्य/अयोग्य पाया गया है, चिकित्सा जांच करानी होगी;

पृष्ठ 70 पर परिशिष्ट-II में

(viii) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा के नीचे निम्नलिखित को शामिल किया जाता है

जिन सेवाओं के लिए वर्ण दर्शन अपेक्षित नहीं है:-

- (i) भारतीय दूर संचार सेवा, ग्रुप 'क'
- (ii) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी(सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप'ख', राजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय)
- (iii) भारतीय रेल भंडार सेवा ग्रुप 'क'
- (iv) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क'

पृष्ठ 90 पर अनुलग्नक -I में

क्रम सं.6 पर कोटि I-सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, कॉलम कार्यात्मक वर्गीकरण एवं शारीरिक आवश्यकताएं को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

ओए अथवा ओएल अथवा पीडी/एचआई बी,एस,एसटी, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, डी एंड डब्ल्यू

पृष्ठ 92 पर अनुलग्नक -II में

चिकित्सा जांच हेतु उम्मीदवारों के लिए अन्य अतिरिक्त अनुदेश के अंतर्गत

(i) पर निम्न को

चिकित्सा जांच संबंधी समस्त सूचनाएं भारतीय रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in) पर अपलोड की जाएगी। चिकित्सा जांच के संबंध में उम्मीदवारों को अलग से कोई लिखित सूचना नहीं भेजी जाएगी।

निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है

चिकित्सा परीक्षा की तारीख/स्थान और चिकित्सा की अंतिम स्थिति (योग्य/अयोग्य/अंशतः अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य) भारतीय रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी। इन अपलोडों के संबंध में उम्मीदवारों को अलग से कोई लिखित सूचना नहीं भेजी जाएगी।

(iii) पर निम्न को

उम्मीदवारों को, प्रवेश पत्र की प्रति सहित संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए लिखित परिणाम का संगत भाग और पहचान का अन्य प्रमाण भी साथ लाना होगा।

को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है

उम्मीदवारों को, सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटों साथ में लाने होंगे। जिन उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किया गया है, को निर्धारित फार्मेट के अनुसार उनका मूल विकलांगता प्रमाण पत्र तथा उसकी एक प्रतिलिपि भी लानी होगी।

उपर्युक्त के अलावा, 14.03.2015 को सरकार द्वारा जारी शेष अधिसूचना में कोई परिवर्तन नहीं है।

रश्मि चौधरी, कार्यपालक निदेशक (जीसी)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th November, 2015

F. No. 2015/E(GR)1/18/1.— In the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. 2015/E(GR)I/18/1, Part-I, Section-1, dated 14.03.2015 published by the Ministry of Railways (Railway Board), notifying the Rules of Engineering Services Examination 2015, the following Corrigendum is hereby made:-

Para 18 at page 58

Following

“**Written qualified** candidate on the basis of Engineering Services Examination, 2015 may be required to undergo medical examination.”

is substituted with

“**Candidates finally recommended** by Commission on the basis of Engineering Services Examination, 2015 shall be required to undergo medical examination.”

Para 18 at page 58 under heading The candidates may also please note that:

Following

- (i) All written qualified candidate will have to undergo a medical examination immediately from the date of declaration of written examination result irrespective of the fact that he/she has appeared for such medical examination in the past and found fit/unfit on the basis of earlier medical examination;

is substituted with

- (i) Every candidate, on being finally recommended by Commission will be required to undergo medical examination as and when so decided by Ministry of Railways (Railway Board) irrespective of the fact that he/she has appeared for such medical examination in the past and found fit or unfit on the basis of earlier examination;

In APPENDIX-II at page 70

The following is inserted below (viii) Geological Survey of India Group ‘A’ Service

Services for which colour perception not required:-

- (i) Indian Telecommunication Service, Group ‘A’
- (ii) Junior Telecom Officer (General Central Service Group ‘B’, Gazetted, Non-Ministerial)
- (iii) Indian Railway Stores Service Group ‘A’
- (iv) Indian Supply Service Group ‘A’

In Annexure-I at page 90

Under Category I-Civil Engineering at S.No.6 Nil under column Functional Classification and Physical Requirements is substituted with the following:-

OA or OL or PD/HI

B, S, ST, W, SE, H, RW, D & W

In Annexure-II at page 92

Under Other additional instructions to the candidates for medical examination

Following at (i)

All medical communications will be uploaded on the official website of the Indian Railways (www.indianrailways.gov.in). No separate written communication will be sent to the candidates regarding medical examination.

is substituted with the following

Medical Examination Schedules/Venue and the final medical status (Fit/Unfit/Partially Unfit/Temporarily Unfit) will be uploaded on the official website of the Indian Railways (www.indianrailways.gov.in). No separate written communication will be sent to the candidates regarding these uploads.

Following at (iii)

The candidate will also have to carry the copy of admit card alongwith the relevant extract of written result downloaded from UPSC's website and other ID proof

is substituted with the following

The candidates should carry Government issued Photo ID card and three passport size photographs with them. Candidates recommended against Persons with Disabilities (PwD) vacancies should carry their Disability Certificate in original as per the format prescribed alongwith additional photocopy of the same.

Besides the above, rest of Notification dated 14.03.2015 issued by the Government, will remain unchanged.

RASHMI CHOWDHARY, Exec. Director Estt. (GC)